वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2003-2004

Report Junction.com

बैंक ऑफ़ इंडिया पथ प्रदर्शक सितारा

Bank of India
The Guiding Star

विषय सूची अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य सूचना निदेशकों की रिपोर्ट कॉर्पोरेट नियंत्रण पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र तुलन-पत्र लाभ व हानि लेखा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखे पर टिप्पणियां नकदी प्रवाह विवरण भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट बैंक का समेकित वित्तीय विवरण इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) फार्म परोक्षी फार्म उपस्थित पर्ची

CONTENTS

Chairman & Managing Director's Statement	1
Notice	4
Directors' Report	10
Auditors' Certificate on Corporate Governance	52
Balance Sheet	54
Profit & Loss Account	55
Significant Accounting Policies	64
Notes on Accounts	67
Cash Flow Statement	79
Auditors' Report to The President of India	81
Consolidated Financial Statement of the Bank	84
Electronic Clearing Service (ECS) Form	107
Proxy Form	109
Attendance Slip	111

निदेशक बोर्ड

Board of Directors

श्री एम. वेणुगोपालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri M. Venugopalan Chairman & Managing Director श्री एम. बालचंद्रन कार्यपालक निदेशक Shri M. Balachandran Executive Director श्री अमिताभ वर्मा Shri Amitabh Verma श्री वी. एस. दास Shri V.S. Das श्री दीपक पी. पाटील Shri Deepak P. Patil श्री वी. ईश्वरन Shri V. Eswaran प्रो. एस. सदगोपन Prof. S. Sadagopan श्री टी.एन. शेठ Shri T.N. Sheth श्री जी. आर. शास्त्री Shri G.R. Shastri श्री बी. जी. चंद्रे Shri B.G. Chandre श्री पहलाज एन. निहलानी Shri Pahlaj N. Nihalani * श्री एस.आर. हलबे Shri S.R. Halbe * श्री डी. के. कपिला Shri D. K. Kapila

* Retired w.e.f. 07.05.2004 से सेवा निवृत्त

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय

स्टार हाउस, सी-5, ''जी'', ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051

Head Office

Star House, C-5, 'G', Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज, यूनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया, साटम इस्टेट, तीसरी मंजिल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ऊपर, कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई - 400 099.

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

प्रकाशचन्द्र जैन एण्ड कंपनी Prakash Chandra Jain & Co.

एस. के. कपूर एण्ड कंपनी S. K. Kapoor & Co.

एम. भास्कर राव एण्ड कंपनी M. Bhaskara Rao & Co.

एम. पी. चितले एण्ड कंपनी M. P. Chitale & Co.

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.

बी.आर. माहेश्वरी एण्ड कंपनी B. R. Maheswari & Co.

Registrar and Transfer Agents

M/s. Sharepro Services, Unit: Bank of India, Satam Estate, 3rd Floor, Above Bank of Baroda, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400 099.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकगण,

31 मार्च, 2004 को समाप्त इस वर्ष के लिए बैंक के निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष के दौरान बैंक ने द्रुत गित से आगे बढ़ना जारी रखा और 1000 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ अर्जित कर शानदार कार्य किया। बैंक के लाभ में वृद्धि के पिरणामस्वरुप शेयरधारक मूल्य बढ़ा है और प्रतिशेयर आय रु. 20.69 एवं बही मूल्य 78.57 रुपये हो गया है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि आपके बोर्ड ने वर्ष के लिए 30% लाभांश घोषित किया है।

अनुकूल मानसून, सेवा क्षेत्र में प्रगित और निर्माण क्षेत्र में तेजी आने के पिरणामस्वरुप देश के सकल स्वदेशी उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। संस्थागत स्तर पर शानदार कार्य-निष्पादन होने से विदेशी संस्थागत निवेशकों से भारतीय पूंजी बाजार में रिकार्ड निधियाँ प्राप्त हुई। मार्च, 2004 के अंत तक विदेशी आरक्षित निधियाँ 106 बिलयन अमरीकी डालर से ऊपर पहुंच गई। डालर की तुलना में रुपये का अधिमूल्यन होने के बावजूद, निर्यात में 17% की वृद्धि हुई जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। आर्थिक सुधारों पर लगातार जोर देने से कारोबार में तेजी का रूख रहा। कॉर्पोरेट क्षेत्र से ऋण वितरण की गित धीमी रही जिसका कारण उद्योगों को कम ब्याज पर राशियां उपलब्ध होना, परिचालनगत कुशलता में वृद्धि होना और पूंजीगत व्यय का स्थिगत होना था। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण ब्याज अंतरों पर दवाब जारी रहा।

लागत व्यय सजगता में वृद्धि होने, कोषागार से मोटा लाभ होने और अन्य फीस आधारित आय बढ़ने के परिणामस्वरुप बैंक ने प्रगति के मार्ग पर लम्बे डग भरना जारी रखा। परिचालनगत लाभ और शुद्ध लाभ में रिकार्ड वृद्धि हुई और यह क्रमश: 2242 करोड़ रुपये और 1008 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष के दौरान वैश्विक कारोबार संमिश्र 1,18,500 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जमाराशियों में 6905 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

ऋण वृद्धि को बनाए रखने एवं आय के अधिक अर्जन पर जोर देने के लिए आपके बैंक ने खुदरा ऋण कारोबार पर अधिक जोर दिया क्योंकि इसमें वृद्धि होने की काफी संभावनाएं हैं। खुदरा कारोबार योजनाओं के विपणन में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए अलग से विपणन विभाग बनाया गया और महाप्रबंधक को इसका प्रभारी बनाया गया। वर्तमान योजनाओं में सुधार करने के अलावा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरुप, नई योजनाएं प्रारंभ की गई। एकजुट उपायों के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान खुदरा ऋण का भाग वृद्धिशील ऋण का 40 प्रतिशत रहा।

बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर निरन्तर ध्यान देता रहा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पार किया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निवल समायोजित ऋण का 49.49% एवं कृषि ऋण निवल समायोजित ऋण का 18.66% रहा। आगामी वर्षों में भी सशक्त ग्रामीण भारत के सुधार एवं विकास के प्रति हमारी वचनबद्धता आगामी वर्षों में भी जारी रहेगी।

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

Dear Shareholders.

I have great pleasure in presenting before you the Report of the Board of Directors of your Bank for the year ended 31st March, 2004.

During the year, the Bank continued its forward march and achieved the distinction of crossing the Rs.1,000 crore mark in Net Profit. The Bank's performance in profit is reflected in the enhanced Shareholders' value, with EPS touching Rs. 20.69 and Book Value Rs. 78.57. I am glad to inform that your Board has declared the dividend at 30% for the year.

The year witnessed an impressive growth in GDP of our country riding on a favourable monsoon, booming Services sector and resurgence in the manufacturing sector. Spurred by good Indian corporate performance, there was record inflow of funds from FIIs into the Indian capital market. Forex reserves scaled all time high of over US \$ 106 bn. at March-end, 2004. Inspite of rupee appreciating against the dollar, exports grew over 17%, a reflection of increasing global competitiveness of Indian industry. Continued impetus on economic reforms kept business sentiment buoyant. The credit off-take from the Corporate Sector, however, was sluggish, with Industry's access to alternate cheaper funds, increased operating efficiency and deferment of capital expenditure. With increased competition, the interest spread continued to be under pressure.

Nevertheless, buoyed by an increased level of cost consciousness, healthy treasury contribution and other feebased income, our Bank continued to grow at a brisk pace. The operating profit scaled to Rs.2242 crore, and net profit Rs.1008 crore, both all time highs. The global business mix of the Bank reached Rs.1,18,500 crore, with Total Deposits growing by Rs. 6905 crore and Total Advances growing by Rs. 3006 crore during the year.

In order to sustain the credit growth with accent on higher yields, your Bank gave greater thrust to retail lending, which has vast potential. A separate Marketing Department headed by a General Manager was formed to give the required push to the marketing of retail products. Besides fine-tuning the existing products, to suit the customers' requirements, new products were introduced. The concerted efforts have resulted in retail credit contributing almost 40% of the incremental credit during the year.

The Bank has been paying paramount attention to its commitment to the rural and other social segments. You will be happy to know that the Bank has surpassed the priority sector lending targets with credit to this sector reaching 49.49% of the Net Bank Credit and lending to Agriculture touching 18.66%. Our commitment to improve and develop a vibrant 'Rural India' will continue in the coming years also.

बैंक ने एनपीए प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके लिए, बैंक ने ऋण निगरानी के कार्य में सिक्रयता लाई है और 'सरफेसी' अधिनयम सीडीआर प्रणाली और भारतीय रिजर्व बैंक और हमारे बैंक की एकमुश्त समझौता प्रणाली जैसे उपाय किए हैं। आपको यह जानकारी खुशी होगी कि आपके बैंक ने एनपीए में 589 करोड़ रुपये की नकद वसूली की है और 31.3.2004 को हमारा सकल एनपीए गत वर्ष की तुलना में कम रहा। चालू वर्ष में भी हम एनपीए पर जोर देना जारी रखेंगे और हम इसके लिए खाता अवनित रोकने के लिए खातों की सिक्रय निगरानी करेंगे और वसूली उपायो को कड़ाई से लागू करेंगे।

प्राहकों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए टेक्नॉलाजी बैंकिंग का नीतिगत एवं अभिन्न अंग बन गई हैं। हमने इस दिशा में कई उपाय किए हैं, बहु शाखा बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से 210 शहरों में 721 शाखाएं जोड़ी गई हैं। इससे ग्राहकों को ''कहीं भी'' बैंकिंग करने की सुविधा प्राप्त हो गई है। कोर बैंकिंग के प्रौद्योगिकी क्षमताओं में नए आयाम खोले हैं जिससे बैंक द्वारा पहले से प्रारंभ किए गए कहीं भी, किसी समय भी बैंकिंग सुविधाओं में मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध होंगी। हमने बाहरी मॉडल को अपनाते हुए कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स – ''स्टार शक्ति'' प्रारंभ किया है। इससे प्रणाली का व्यवसायिक प्रबंधन होगा और यह प्रणाली टेक्नालाजी की दृष्टिसे कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। प्रारंभत: मार्च 2005 तक 125 शाखाओं में इसका विस्तार होगा जो 3 वर्षों में यह 750 शाखाओं तक फैल जाएगा। 600 एटीएम के साझे नेटवर्क के साथ बैंक का अपना 210 एटीएम का नेटवर्क ''कैश ट्री'' बैनर के तहत ''किसी भी समय बैंकिंग'' उपलब्ध कराता है। साझे नेटवर्क के जरिये 2000 से अधिक एटीएम को जोड़ने की और साथ–साथ, बैंक के नेटवर्क से जुड़ी सभी 721 शाखाओं के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध कराने की बैंक की योजना है।

हमारा यह सतत प्रयास रहा है कि अपने उत्पादों में विविधता लाएं और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएं। बैंक ने वीजा इंटरनेशनल एटीएम-सह-डेबिट कार्ड आरंभ किया है, हमने ऑन-लाइन डिपॉजिटरी सेवा मुंबई की 48 शाखाओं में आरम्भ की है। बैंक, तत्काल सकल भुगतान सेवा (आरटीजीएस) की शुरुआत करने वालों में से एक है। इसके अलावा एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स के लिए समाशोधन बैंक बनकर बैंक पण्य क्रय-विक्रय हेतु भावी सौदा बाजार (कमोडिटी मार्केट) में अग्रणी रहा हैं। ग्राहक सेवा में उपयुक्त एवं निरन्तर सुधार करने के प्रति बैंक की वचनबद्धता को प्रदर्शित करते हुए बैंकने गुणवत्ता नीति अपनाई है। बैंक मार्च 2005 तक 250 शाखाओं के लिए ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा बैंकने ग्राहक सेवा क्षेत्र में कमियों का पता लगाने एवं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से ''ग्राहक प्रबन्ध एवं संतोष'' सर्वेक्षण कराया है। बैंक में उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है। ग्राहक सेवा गुणवता के साथ-साथ प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सरलीकरण के लिए नए उपाय करने पर विचार करती है।

कॉर्पोरेट को उनके हित की रक्षा और जोखिमों के आदान-प्रदान की दृष्टि से बैंक का कोषागार अब कई विभिन्न उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है। संप्रति, ऋण परिचालन में कम संभावनाओं को देखते हुए ब्याजेतर आय को बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए अन्य पक्षकारों के उत्पादों सहित The Bank has brought about a significant improvement in management of NPAs with stringent credit monitoring, and by capitalising on all available tools viz. the SARFAESI Act, CDR mechanism and OTS Schemes of RBI and the Bank. You will be happy to know that due to concerted efforts, the Bank made record cash recoveries of Rs.589 crore in NPAs, and the gross NPAs as at 31.3.2004 are lower than last year. Thrust on reduction of NPA will continue with greater vigour during the current year also with a two pronged strategy of close monitoring of the accounts to avoid slippage, and stricter enforcement of recovery measures.

Technology has become a strategic and integral part of banking driven by the urge to meet the rising expectations of the customers. We have taken several initiatives on this score. The existing Multi Branch Banking network connects 721 branches of the Bank spread over 210 cities and provides the convenience of Anywhere Banking to customers. The introduction of Core Banking Solution - 'StarSHAKTI' - is a giant step forward in opening up of new horizons in your Bank's technological capabilities, which would provide value added services to the Anywhere, Anytime Banking facilities already introduced by the Bank. The Bank's CBS follows an innovative outsourcing model. This allows for professional management of the systems and insures against technological obsolescence. To begin with 125 branches are expected to go on stream by March 2005 which would expand to 750 branches in 3 years' time. The Bank's own network of 210 ATMs coupled with a shared network of 600 ATMs under the banner of "Cash Tree" provides the convenience of Anytime Banking. Plans are afoot to make over 2000 ATMs accessible through shared networks and also to provide internet banking to customers of all the 721 networked branches of the Bank.

It is our constant endeavour to expand the product range and enhance the quality of customer service. The Bank has introduced VISA International ATM cum Debit Card. Online Depository Services have been extended to 48 branches in Mumbai. The Bank is among the frontrunners in the introduction of the Real Time Gross Settlement (RTGS) service. The Bank has also taken a lead in commodity future markets by becoming a Clearing Bank for NCDEX and MCX. Reflecting the Bank's commitment to consistent and constantly improving customer service, the Bank has adopted a quality policy and is securing ISO 9001 - 2000 accreditation for 250 branches by March, 2005. The Bank has also commissioned a 'Customer Relationship and Satisfaction Survey' at select branches to identify and bridge deficient areas. A high level committee in the Bank is overseeing the quality of customer service besides innovating simplified procedures and practices.

With a view to provide the Corporates with avenues to hedge their interest and exchange risks, the Bank's Treasury is now offering several Derivative products which are well received in the market. In the present scenario of thinning spreads in

अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए आक्रामक विपणन नीति अपनाई जाएगी।

सही काम के लिए, उपयुक्त व्यक्ति की पहचान, समय की मांग के अनुरूप निर्धारित आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण और प्रत्येक व्यक्ति से प्रबीत्तम निष्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना आदि मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका अनुसरण बैंक कर रहा है।

बैंक का अंतर्राष्ट्रीय परिचालन 12 देशों में 19 शाखाओं एवं 3 प्रतिनिधि कार्यालयों के साथ बैंक के कुल कारोबार में 19% का योगदान करता है और इसके द्वारा समग्र कार्य-निष्पादन में उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान के वैश्विकीकृत वातावरण में और अधिक व्यवसाय जुटाने के उद्देश्य से बैंक दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं सार्क देशों में नई शाखाएं/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने और/या संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

बैंक निरन्तर आगे बढ़ते हुए वैश्विक मुख्य कारोबार में वृद्धि करने के लिए सतत् प्रयास करेगा और परिवर्तित वातावरण की मांगों की प्रति सजग रहते हुए अवसरों का लाभ उठाएगा और चुनौतियों का सामना करने में सफल होगा। अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की क्षमताओं के सहारे बैंक कम लागत वाली जमाराशियाँ जुटाने पर जोर देते हुए जमा संमिश्र में वृद्धि करने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। हमारे विकास में खुदरा ऋण कारोबार के योगदान का अंश और अधिक बढ़ेगा और यह इस क्षेत्र में बढ़ते हुए अवसरों के अनुरुप होगा। राजस्व प्राप्ति में फीस आधारित आय भी बढ़ेगी और गैर-निधि आय और नई विभिन्न सेवाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा।

उत्कृष्टता के साथ विकास करते हुए अपने सभी जोखिम धारकों के लिए मूल्य वृद्धि करने के उपायों की तलाश निरन्तर आगे बढ़ने की यात्रा की विशेषता होगी। आपकी आंकाक्षाओं के अनुरुप हम गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करेंगे और अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए अपने दृष्टिकोण में नवीनता लाऐंगे। प्रौद्योगिकी में निवेश, मानव संसाधन विकास पर जोर और अपनी वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाना जैसे उपाय हमारे भविष्य के भवन-निर्माण में आधारशिला का काम करेंगे। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करने की ताकत निहित है। आपके समर्थन से हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।

सादर,

आपका

व्ययुग्रीयालक

एम. वेणुगोपालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुंबई 21.05.2004 lending operations, greater focus would be given for enhancing the non-interest income, through aggressive marketing efforts in providing a variety of products and services including third party products.

Identifying right persons for the right job, developing necessary skill sets to match the needs of the time and providing congenial environment to bring out the best from each individual are some of the key ingredients of human resources management practices pursued in the Bank.

The International operations of the Bank, with its 19 branches and 3 Representative Offices in 12 countries, contribute 19% of the total business and thereby occupy a premier position in the overall performance. In order to make further inroads in today's globalised environment, the Bank is exploring possibilities of opening new branches/representative offices and/or joint ventures in South America, Africa and SAARC countries.

Moving ahead, the Bank would continue to focus on growing its core businesses globally, while being alert to the demand of the changing environment, to take advantage of the emerging opportunities, and tide over the challenges. Assisted by upgraded technology and improved service delivery capabilities, the Bank would focus on improving its deposit mix with accent on low cost deposits. Retail credit assets would be pursued to contribute increasing share in our growth, in sync with increasing opportunities in this segment. Share of fee income in our revenue streams will be stepped up with increased focus on non-fund based activities and new diversified service offerings.

Our quest for increasing value for all stakeholders by pursuing growth with excellence would be the hallmark of our journey forward. In line with your expectations, we will continuously reinvent the value chain and will be innovative in our approach to continuously improve our performance. The investment in technology, accent on development of human resources and strengthening of the systems being undertaken today will lay the foundation for a strong edifice for the future. It would be a challenge to improve upon the performance levels achieved in the recent years in the face of ever increasing competition and the rapid changes taking place in the environment. Your Bank has however, the inherent strength to face up to these challenges and record improved performance in the years ahead. Your support would add to our strength in great measure.

With warm regards,

Your sincerely,



M. VENUGOPALAN CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

MUMBAI 21.05,2004



प्रधान कार्यालय: स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051. Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

सूचना NOTICE

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक बुधवार दिनांक 14 जुलाई, 2004 को दोपहर 2.30 बजे सर सोराबजी पोचखानवाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऑडीटोरियम, जेवीपीडी स्कीम, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई-400 056 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी:

- 1. ''बैंक के तुलन-पत्र यथा दिनांक 31 मार्च, 2004 एवं इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा, लेखावधि में बैंक की कार्यप्रणाली और कार्यकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना।''
- निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उन्हें उपयुक्त पाया जाता है तो उन्हें आशोधन सिहत या आशोधन के बिना पारित करना:
 - "यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस बारे में तैयार दिशानिर्देशों के अनुसरण में दी स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद, दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड एवं मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध अपने ईिक्वटी शेयरों को स्वेच्छा से सूची से हटाने और उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों में अपने ईिक्वटी शेयरों को सूची से हटाने के लिए उक्त स्टॉक एक्सचेंजों में अपने ईिक्वटी शेयरों को सूची से हटाने के लिए उक्त स्टॉक एक्सचेंज और/या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा और एतदद्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"
 - "यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को शेयरों को स्वेच्छा से सूची से हटाने के बारे में उत्पन्न सभी प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों का निपटारा, जैसा वे उचित समझें, उनके पूर्ण विवेकाधिकार से करने का प्राधिकार होगा और एतद्द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"
 - ''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इस बारे में सभी विधिक एवं प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Wednesday, the 14th July, 2004 at 2-30 p.m. at Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College Auditorium, J.V.P.D.Scheme, Vile Parle (West), Mumbai – 400 056, to transact the following business:

- "To discuss the Balance Sheet as at 31stMarch, 2004 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
- 2. To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following resolutions:
 - "RESOLVED THAT pursuant to the Guidelines framed by Securities Exchange Board of India in this regard, the Board of Directors of the Bank be and are hereby authorised to seek Voluntary Delisting of its Equity shares listed at The Stock Exchange, Ahmedabad, The Calcutta Stock Exchange Association Limited, Delhi Stock Exchange Association Limited and Madras Stock Exchange Limited and to apply to the aforesaid Stock Exchanges and/or any other concerned authorities for Voluntary Delisting of its Equity shares from the said Stock Exchanges."
 - "RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and are hereby authorised to settle all questions, difficulties or doubts as may arise, with regard to voluntary delisting of shares, as it may in their absolute discretion deem fit."
 - "RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take all necessary steps in this

सभी आवश्यक कार्रवाई करने और उपर्युक्त संकल्प को प्रभावशील करने के लिए जैसा उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उचित और आवश्यक समझा जाए, सभी कार्यों, विलेखों, विषयों और वस्तुओं से संबंधित कार्य करने का प्राधिकार होगा और एतद्द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"

 निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो इसे आशोधन सहित या आशोधन के बिना पारित करना :

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, स्वीकृतियाँ, सहमितयाँ यदि कोई इस बारे में वांछित हो, के अध्यधीन, और ऐसे अनुमोदनों को देने के लिए उनके द्वारा विनिर्धारित आशोधनों, शर्तों, निबंधनों के अध्यधीन और जिस पर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित विनियमों/ दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन एवं स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं. के साथ हए सूचीकरण करार के अध्यधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद बोर्ड कहा गया है, जिसमें किसी समिति, जिसे बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो या उसके अधिकारों का प्रयोग, जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार शामिल हैं, करने हेतू गठित किया गया हो, सम्मिलित माना जाएगा।) रु. 10/- के ईक्विटी शेयरों को जारी एवं ऐसी संख्या में आबंटित करने और जो किसी भी स्थिति में 10,00,00,000 (दस करोड़) से ज्यादा नहीं हो और सकल रुप से रुपये 100,00,00,000/-(रुपये एक सौ करोड़ केवल) से ज्यादा नहीं हो, व्यक्तियों जैसे व्यक्तिगत, कंपनियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, योग्य संस्थागत क्रेताओं. कर्मचारियों. कर्मचारियों के न्यासों या अन्य निवेशकों. चाहे उनका भारत में निवास हो या नहीं और बैंक के शेयरधारक हों या नहीं या उपर्युक्त में से किसीको संयुक्त रूप से जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, को जारी करने और आबंटित करने हेत् बैंक के शेयरधारकों की सहमति होगी और एतदुद्वारा सहमति दी जाती है"

"यह संकल्प किया जाता है कि ऐसे निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम के द्वारा जारी होंगे और ऐसे निर्गम, प्रस्ताव और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी के प्रचलित दिशानिर्देशों और ऐसे समय व समयों पर, ऐसे मूल्य (प्रीमियम सहित) पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों, निबंधनों, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझें, के अनुरुप होंगे।"

regard in order to comply with all the legal and procedural formalities and to do all acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary and appropriate to give effect to the above resolution."

3. To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the Regulations / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to issue and allot such number of equity shares of Rs. 10/- each and in any case not exceeding 10,00,00,000 (Ten Crore) and aggregating to not more than Rs. 100,00,00,000/-(Rupees One hundred crore only) to persons like Individuals, Companies, FIIs, Financial Institutions, Banks, Qualified Institutional Buyers, Employees, Employees' Trust(s) or other investors, whether resident in India or not and whether or not shareholders of the Bank or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be through by way of Public issue and that such offer, issue and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, SEBI Guidelines in force, and at such time or times at such price (including premium) and in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को, जैसा भी आवश्यक हो या भारत सरकार/ रिजर्व बैंक/ सेबी या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा उनके अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और स्वीकृतियों को देते समय लागू किया जाए व जिस पर बोर्ड की सहमति हो, प्रस्ताव में किसी भी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार होगा।"

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों को नए ईक्विटी शेयरों, यदि कोई हो, का निर्गम एवं आबंटन विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयर बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और सभी दृष्टि से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरुप होंगे और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के पात्र होंगे। यह लाभांश ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावशील करने के लिए बोर्ड को, जैसा उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, आवश्यक और वांछनीय समझा जाए, ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, विषयों और वस्तुओं से संबंधित कार्य करने और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह के निपटारे के लिए और आगे ऐसे सभी कार्यों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखों को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने, जो भी आवश्यक, वांछनीय व सामयिक हो, जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, उपयुक्त या वांछनीय समझे, शेयरधारकों के आगामी अनुमोदन या सहमित या प्राधिकार प्राप्त किए बिना यह मानते हुए कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा उन्होंने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है, का प्राधिकार होगा और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावशील करने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को सभी अधिकार या कोई अधिकार प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा और एतदुद्वारा उसे प्राधिकृत किया जाता है।"

चेपुरारेया लक

(एम. वेणुगोपालन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक: 12/06/2004

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares if any, to NRIs, FIIs, be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."



(M.VENUGOPALAN)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai Date: 12.06.2004.

NOTES:

टिप्पणियां :

1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार 9 जुलाई, 2004 को या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले अर्थात् शुक्रवार 9 जुलाई, 2004 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. लेखाबंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार 7 जुलाई, 2004 से बुधवार 14 जुलाई, 2004 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को और, जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज, यूनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया, साटम इस्टेट, 3 री मंजिल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के ऊपर, कार्डिनल ग्रेसियस रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मंबई- 400 099 को देनी चाहिए।

5. लाभांश का भुगतान

शेयरधारकों को निदेशक बोर्ड द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. The proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the proxy form not later than 4 (Four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Friday, the 9th July, 2004.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (Four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Friday, the 9th July, 2004.

3: BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Wednesday, July 7, 2004 to Wednesday, July 14, 2004 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and ascertainment of entitlement for payment of dividend.

4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialised form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant and others who hold shares in physical form, should communicate the change of address to the Bank's Registrar & Share Transfer Agents - M/s. Sharepro Services, Unit: Bank of India, Satam Estate, 3rd Floor, Above Bank of Baroda, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 099

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as declared by the Board of Directors shall be made within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

मद संख्या 2 के लिए व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के ईक्विटी शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

- 1. दी स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई)
- 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
- 3. दी स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद
- 4. दी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड
- मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
- 6. दी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड

बीएसई एवं एनएसई का व्यापक नेटवर्क होने से उनके केन्द्र देशभर में उपलब्ध हैं अतएव समूचे देश में निवेशकों ने बैंक के शेयरों का ऑन-लाइन लेन-देन किया। बीएसई एवं एनएसई में बैंक के ईक्विटी शेयरों का लेन-देन बड़ी मात्रा में हो रहा है जबकि यह लेन-देन अन्य एक्सचेंजों में बहुत ही कम हुआ है।

यह भी पाया गया है कि बीएसई एवं एनएसई के अलावा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों को प्रदत्त सूचीकरण शुल्क लेन-देन की मात्रा और नकदीकरण बीएसई और एनएसई के अनुरुप नहीं है।

21 मई, 2004 को सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठक में पारित संकल्प और सेबी (प्रतिभूतियों को सूची से हटाना) दिशानिर्देश, 2003 के अनुसरण में बैंक की वार्षिक आम बैठक की सूचना की मद संख्या 2 में निर्धारित प्रस्ताव पर बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन वांछित है जिससे बैंक अपने ईक्विटी शेयरों को भविष्य में उचित समय पर बीएसई एवं एनएसई के अलावा अन्य चार स्टॉक एक्सचेंजों की सूची से हटाने में सक्षम हो सकेगा। उपर्युक्त दिशानिर्देशों की शतों के अनुसार इस बैठक में उपस्थित और मत देने वाले शेयरधारकों द्वारा हीन-चौथाई मतों से इस संकल्प को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों को इन चार एक्सचेंजों (अर्थात बीएसई एवं एनएसई को छोड़कर) की सूची से जब भी हटाया जाएगा उससे निवेशकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक के ईिक्वटी शेयर बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध रहेंगे सूची से हटाने का कार्य दिशानिर्देशों के अनुरुप सभी अनुमोदनों, अनुमितयों और स्वीकृतियों यदि कोई हो, की प्राप्ति के उपरान्त प्रभावी होगा।

आपके निदेशक सूची की मद संख्या 2 में दिए गए संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक का, किसी भी रूप में उक्त संकल्प से कोई संबंध नहीं है या उनका कोई हित निहित नहीं है।

Library Services - www.sansco.n Explanatory statement to Item No. 2

The equity shares of the Bank are currently listed with the following stock exchanges:-

- 1. The Stock Exchange, Mumbai (BSE)
- 2. National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
- 3. The Stock Exchange, Ahmedabad
- 4. The Delhi Stock Exchange Association Ltd.
- 5. Madras Stock Exchange Ltd
- 6. The Calcutta Stock Exchange Association Ltd.

With the extensive network of BSE and NSE terminals available nationwide, investors have access to online dealings in the Bank's shares across the country. While the bulk of trading in the Bank's equity shares have been taking place on BSE and NSE, the trading has been abysmally low on other exchanges.

It is also observed that the listing fees paid to stock exchanges other than BSE and NSE is incommensurate with the trading volumes and liquidity on these exchanges vis-àvis BSE and NSE.

In terms of Resolutions passed at the meeting of the Board of Directors held on 21st May, 2004 and pursuant to the SEBI (Delisting of Securities) Guidelines, 2003, approval of shareholders of the Bank is being sought for the proposal as set out in Item No. 2 of the notice convening the Annual General Meeting of the Bank which would enable it to delist its equity shares from all the four stock exchanges other than BSE and NSE at an appropriate time in the future. In terms of the aforesaid Guidelines, the resolution is required to be approved by three-fourths majority of those shareholders present and voting at the meeting.

The proposed delisting of the Bank's equity shares from these four exchanges (i.e. other than BSE and NSE) as and when the same takes place, will not adversely affect the investors. The Bank's equity shares will continue to be listed on BSE and NSE. The delisting will take effect after all approvals, permissions and sanctions, if any, are received in accordance with the Guidelines.

Your Directors recommend the Resolution as set out in Item No.2 of the notice for the approval of the shareholders.

None of the Directors of the Bank are, in any way, concerned or interested in the Resolution.